राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2083, 2084, 2085, 2086 एवं 2087 / 2016..........................जिला.. जयपुर...

उनवान – मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरीज प्रा.लि., जयपुर बनाम् 1. अपीलीय अधिकारी, द्वितीय जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

26 / 09 / 2016

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विवेक सिंघल एवं विभाग की ओर से श्री डी.पी.ओझा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यें पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 26, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। समस्त अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अ.अधि. द्वारा स्थगित राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5	6
2083 / 16	10–11	अ.प्रा.–II / स्थ / अ.स. 200	7,87,71,040	4,35,19,912	3,52,51,128
2084 / 16	11–12	अ.प्रा.–II / स्थ / अ.स. 201	10,51,12,606	6,00,64,346	4,50,48,260
2085 / 16	12–13	अ.प्रा.–II / स्थ / अ.स. 202	14,65,97,773	8,67,44,244	5,98,53,529
2086 / 16	13–14	अ.प्रा.–II / स्थ / अ.स. 203	15,14,78,599	9,29,31,656	5,85,46,943
2087 / 16	14–15	अ.प्रा.–II / स्थ / अ.स. 204	10,25,29,238	6,53,05,246	3,72,23,992

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2016 से आंशिक स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा एरियेटेड वाटर, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक एवं अन्य ब्रेवरेज उत्पादों की खरीद बिक्री की जाती है। इस ड्रिंक (fruit juice) पर वैट शिडयूल चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत कर देयता 5 प्रतिशत देय है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त ड्रिंक (पेय पदार्थ) को दिनांक 14.07.2014 से अधिसूचित वैट शिड्यल की प्रविष्टि 16(6) में अंकित फ्रूट पल्प ड्रिंक की श्रेणी में निर्धारित करते

लगातार.................2.

26/09/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

26/09/2016

हुये 14 प्रतिशत की दर से कर देयता मानी है। उन्होनें अपनी कम्पनी द्वारा निर्मित फ्रूट पल्प ड्रिंक को 5 प्रतिशत की कर देयता पर निर्धारित करने का निवेदन करते हुये तीन माह के लिये उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 में वर्णित राशि को स्थगित करने का निवेदन किया है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2016 अपील संख्या 1370/2016/जयपुर मैसर्स वरूण ब्रेवरीज लि0 बनाम सीटीओ को उद्धरित किया एवं मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों दिनांक 08.09.2016 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली की रोक पर प्रस्तुत पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया, अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में उत्पाद Maaza एवं Minute Maid क्या Fruit drinks है अथवा Fruit Juice हैं एंव Fruit Pulp drinks है तो आलौच्य अवधि में इस पर कर दर क्या है, यह तथ्य अन्तवर्लित है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन करने तथा विक्रीत वस्तु की प्रवृति को देखते हुए वसूली राशि पर रोक लगाना उचित समझते हैं तदनुरूप अपीलार्थी के विरूद्ध कायम विवादित मांग राशियों की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर रोक लगाई जाती है। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इन पांचों प्रकरणों में नियमित सुनवाई करते हुये इन आदेशों की प्राप्ति के दो माह के भीतर अपीलों का गुणावगुण के आधार पर विधिक निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

पांचों अपीलों मय स्थगन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश प्रसारित किया गया।

26/09/16
सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

26.9.2016
सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर